

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

\*\*\*\*\*

दिनांक: 22 जून, 2023

संकल्प

सं. 11034/01/2023-राजभाषा(नीति): राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलिक रूप से राजभाषा हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 11034/01/2023-राजभाषा(नीति) दिनांक 21.03.2023 का अधिक्रमण करते हुए वर्ष 2022-23 से संशोधित “राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना” लागू की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब भारत के नागरिकों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे:-

- (क) हिंदी में ज्ञान-विज्ञान संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (ख) न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (ग) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (घ) विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

2. नाम: इस योजना का नाम ‘हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना’ है।

3. परिभाषाएँ: इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (i) “योजना” का अभिप्राय है:- तकनीकी, विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर इत्यादि संबंधी विषयों एवं विधि के क्षेत्र में मौलिक रूप से हिंदी भाषा में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग की पुरस्कार योजना।
- (ii) “मौलिक” से अभिप्राय है:- मूल रूप से हिंदी में लिखी गई व प्रथम बार प्रकाशित पुस्तक। पूर्व में प्रकाशित पुस्तकों का अनुवाद इस योजना में शामिल नहीं होगा।
- (iii) “पुस्तक” से आशय प्रकाशित पुस्तक से है।
- (iv) “वर्ष” से अभिप्राय है:- (क) योजना वर्ष - वित्तीय वर्ष (ख) प्रकाशन वर्ष - कैलेंडर वर्ष।

4. उद्देश्य:

(क) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में सरकारी कामकाज में तकनीकी विषयों पर भी कार्य किया जाता है। तकनीकी, विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर इत्यादि संबंधी विषयों एवं विधि के क्षेत्र में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में कठिनाई आ रही है क्योंकि इन विषयों पर पुस्तकों की कमी है। साथ ही, इन विषयों की हिंदी शब्दावली से कम परिचित अथवा परिचित नहीं होने के कारण सरकारी कामकाज को हिंदी में करने में कार्रिकों को कठिनाई आती है। उक्त विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग यह योजना चला रहा है।

(ख) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी से संबंधित अलग-अलग पुरस्कार योजनाएँ चलायी जा रही हैं। हिंदी से संबंधित पुस्तक योजना के लिए केवल राजभाषा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। अतः विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलायी जा रही राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी से संबंधित पुरस्कार योजनाओं में से प्रासंगिक योजनाओं को इस पुरस्कार योजना में शामिल कर लिया गया है। अन्य पुरस्कार योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में यदि कोई मंत्रालय/विभाग हिंदी से संबंधित कोई अन्य पुरस्कार योजना शुरू करना चाहता है तो उसे पुरस्कार योजना शुरू करने से पूर्व राजभाषा विभाग से परामर्श करना अनिवार्य होगा, ताकि पुरस्कार योजना की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

## 5. पुरस्कार

	पुरस्कार योजना का नाम	कुल पुरस्कारों की संख्या	देय राशि, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
क	हिंदी में ज्ञान-विज्ञान संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 2,00,000/- (दो लाख रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		तृतीय पुरस्कार (एक)	₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ख	न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ग	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
घ	विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

## 6. पात्रता:

- (i) लेखक/ सह लेखक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- (ii) पुस्तक निम्नलिखित विधाओं पर लिखी होनी चाहिए:-  
 (क) इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन, मनोविज्ञान... इत्यादि; समसामयिक विषय यथा उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण... इत्यादि  
 (ख) न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन आदि  
 (ग) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि  
 (घ) विधि संबंधी विषय

## 7. सामान्य शर्तें:

- (i) पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक द्वारा अलग-अलग प्रपत्र (प्रोफॉर्मा) भरा जाए।
- (ii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए केवल वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हो। अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं।
- (iii) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तके पात्र नहीं होंगी। उपरि-विषयक योजना के अंतर्गत पुरस्कार की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया हो तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।
- (iv) योजना के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।
- (v) पुस्तक की विषय-वस्तु समीक्षात्मक एवं विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। पीएचडी के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक इस पुरस्कार योजना हेतु पात्र नहीं होगी।
- (vi) लेखक/सह-लेखक पुस्तक में दिए गए आँकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहाँ तक संभव हो, संदर्भ देंगे।
- (vii) यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी। तथापि, सह-लेखक (यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है। सह-लेखक को पुरस्कार में आनुपातिक राशि ही प्रदान की जाएगी।
- (viii) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ की हो।
- (ix) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्राप्त प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- (x) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बाँट दी जाएगी।
- (xi) पुरस्कार योजना के अंतर्गत केवल आईएसबीएन (ISBN) वाली पुस्तकों को ही शामिल किया जाएगा।

## 8. प्रविष्टि भेजने की विधि:

- (i) प्रविष्टि अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाए अन्यथा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियाँ भेजें। ये प्रतियाँ वापस नहीं की जाएंगी।
- (iii) निर्धारित प्रपत्र भरकर प्रविष्टि विभाग द्वारा दी गई अंतिम तिथि तक पहुँच जानी चाहिए।
- (iv) एक लेखक केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है।

## 9. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया:

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति की अध्यक्षता संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा की जाएगी। समिति में आवश्यकतानुसार सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त गैर-सरकारी, प्रतिष्ठित विद्वान/विशेषज्ञ भी शामिल किए जा सकते हैं। समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

(i)	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	अध्यक्ष
(ii)	दो गैर सरकारी व्यक्ति, जो राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक	सदस्य

	वर्ष नामित किए जाएंगे	
(iii)	निदेशक/उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग	सदस्य-सचिव

- (i) प्रविष्टि भेजने वाले लेखकों के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में शामिल नहीं किए जाएंगे।
- (ii) प्रविष्टियों के मूल्यांकन हेतु विषय से संबंधित मंत्रालय/विभाग के एक पदाधिकारी को मूल्यांकन समिति में जगह दी जा सकती है।
- (iii) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय देने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले।
- (iv) मूल्यांकन समिति मूल्यांकन के मानदण्ड स्वयं निर्धारित करेगी।
- (v) पुरस्कार देने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा। यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हों तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
- (vi) मूल्यांकन समिति में शामिल सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उसी स्रोत से मिलेगा, जिस स्रोत से उन्हें वेतन मिलता है। समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और संबंधित अवधि में लागू अनुदेशों के अधीन यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के अधिकारी होंगे।
- (vii) मूल्यांकन समिति के विशेषज्ञ राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के भी अधिकारी होंगे।
- (viii) मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर निर्णय राजभाषा विभाग द्वारा किया जाएगा।

#### 10. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण:

- (i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र/ईमेल द्वारा भेजी जाएगी तथा उसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
- (ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा।

#### 11. सामान्य सूचना:

- (i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक/प्रकाशक का कॉपीराइट बना रहेगा।
- (ii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था उन्हें स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।
- (iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

#### 12. योजना को शिथिल करने का अधिकार:

- \* जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इस संकल्प के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

\*\*\*\*\*

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार, मुद्रणालय

मिट्टो रोड, नई दिल्ली – 110002

संख्या: 11034/01/2023-राजभाषा(नीति)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून, 2023

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उप सचिव (कार्यान्वयन/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प के माध्यम से संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
7. नीति आयोग, नई दिल्ली
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
9. लेखा निदेशक (केंद्रीय राजस्व), नई दिल्ली
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियाँ)
13. निदेशक, जन संपर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें।
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग
15. सचिव (राजभाषा) के प्रधान स्टाफ अधिकारी
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा विभाग (नीति अनुभाग) के लिए
17. परामर्शदाता (एनआईसी), राजभाषा विभाग: इस संकल्प को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

“भारत के नागरिकों के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना”

## प्रपत्र

कृपया संबंधित पुरस्कार योजना, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, को चिह्नित करें।

(क)	हिंदी में ज्ञान-विज्ञान संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	
(ख)	न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	
(ग)	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	
(घ)	विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	

1. पुरस्कार योजना का वर्ष : .....
  2. पुस्तक का नाम : .....
  3. (i) लेखक/सह लेखक का नाम : .....
  - (ii) पूरा पता (पिन कोड सहित) : .....
  - (iii) दूरभाष : .....
  - (iv) मोबाइल नं. : ..... ईमेल : .....
  4. (i) प्रकाशक का नाम : .....
  - (ii) प्रकाशक का पूरा पता : .....
  - (iii) प्रकाशन का वर्ष : .....
  5. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है? हाँ/नहीं  
यदि हाँ, तो कृपया पूरा व्यौरा दें : .....
  6. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि-
    - (i) मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... भारतीय नागरिक हूँ
    - (ii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है।
    - (iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए ऑकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ।
  7. मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं उपर्युक्त मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी।
- स्थान : .....
- दिनांक : .....

लेखक/सह लेखक के हस्ताक्षर

नोट 1. जो लागू न हो, उसे काट दें।

नोट 2. पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सह लेखक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए।

\*\*\*\*\*